

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1815]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 20, 2016/आषाढ़ 29, 1938

No. 1815]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 20, 2016/ASADHA 29, 1938

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 2016

का.आ. 2464(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 1428 (अ), दिनांक 13 अप्रैल, 2016 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा

उक्त अधिसूचना की अधिसूची में

“(2) तारपिन”, “(3) रेहनोक बाजार” की प्रविष्टि के बाद कॉलम 4 में उप मंडल “रंगोली” जिला पूर्वी के सामने सम्मिलित किया जाएगा।

[फा. सं. एनएचआईडीसीएल/सिक्किम/एनएच-717ए/रेहनोक-पकयोंग/एलए/2015-16]

राजेश गुप्ता, उप सचिव

पाद टिप्पणी: मुख्य अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल, 2016 की संख्या का.आ. 1428 (अ) के अनुसार भारत के राजपत्र असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड (ii) दिनांक 13 अप्रैल, 2016 में प्रकाशित हुई।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th July, 2016

S.O. 2464(E).—In exercise of the powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, No. S.O.1428(E), dated 13th April, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part- II, Section 3, sub-section (ii), dated the 13th April, 2016, namely:-

IN THE SCHEDULE TO THE SAID NOTIFICATION;

(a) against District " East" , Sub Division "Rongli" in Col (4) after the entry "(2) Tarpin", "(3) Rhenock Bazar" shall be inserted.

[F. No. NHIDCL/Sikkim/NH-717A/Rhenock-Pakyong/LA/2015-16]

RAJESH GUPTA, Dy. Secy.

Foot Note: The principal notification was published vide Number S.O 1428 (E) dated 13th April, 2016, in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii) dated 13th April, 2016.